166

न्यायालय राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 655–दो/2009 विरूद्ध आदेश दिनांक 15–9–2008 – पारित – व्दारा – आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर – प्रकरण कमांक 144/1984–85 निगरानी

1– गणेशराम 2– नवल सिंह
3– सूरतसिंह 4– गजराज सिंह
5– पप्पू सभी पुत्रगण स्व0धोवन सिंह
6– कमला पत्नि सिरनाम सिंह पुत्री धोवनसिंह
7– रामकली वाई पत्नि तुलाराम पुत्री धोवनसिंह
8– भागवाई पत्नि भगवान सिंह पुत्री धोवनसिंह
सभी निवासी मढ़ी कानूनगो तहसील अशोकनगर
जिला अशोकनगर, मध्य प्रदेश ---आवेदकगण

विरूद्ध

1– धोवन सिंह पुत्र वालमुकुन्द
निवासी मढ़ी कानूनगो तहसील अशोकनगर
2– मध्य प्रदेश शासन ---अनावेदकगण

(आवेदकगण की ओर से अभिभाषक श्री विनोद श्रीवास्तव)
(शासन की ओर से पैनल लायर)
(अनावेदक कमांक–1 सूचना उपरांत अनुपस्थित–एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 24 – 6 – 2016 को पारित)

अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 144/1984–85 निगरानीमें पारित आदेश दिनांक 15–9–2008 के विरूद्ध यह निगरानी म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि है कि अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर ने प्रकरण कमांक 1374 अ-90 (बी-3)/1974-75 में पारित आदेश दिनांक 20-4-1976 से भूधारी धोवन सिंह की आपत्ति का निराकरण करते हुये आदेश पारित किया। आदेश पारित होने के उपरांत महिला तुरसीवाई ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आपत्ति आवेदन प्रस्तुत किया। अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर से कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम के अंतर्गत पुनरावलोकन का प्रावधान न होने से आपत्ति निरस्त कर दी। अनुविभागीय अधिकारी के इस आदेश के विरूद्ध महिला तुरसीवाई ने कलेक्टर गुना के समक्ष निगरानी कमांक 32/78-79 प्रस्तुत की। कलेक्टर गुना ने प्रकरण कमांक 32/78-79 में पारित आदेश दिनांक 27-7-81 से निगरानी निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त,ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष निगरानी कमांक 144/1984-85 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 15.9.2008 से निगरानी निरस्त हुई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदकगण एंव शासन के पैनल लायर के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ शासन के पैनल लायर ने आपत्ति की कि मूल मामला मध्य प्रदेश कृषि खातों की उच्चतम सीमा अधिनियम के अंतर्गत है जिसके कारण म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी सुनवाई योग्य नहीं है। इसी प्रकार यह भी आपत्ति की गई कि अधिनियम के अंतर्गत पुनरावलोकन का प्रावधान नहीं है इसलिये अनुविभागीय अधिकारी ने पुनरावलोकन आवेदन ग्राह्य नहीं किया है। आवेदकगण के अभिभाषक ने बताया कि मूल पारित आदेश के विरूद्ध निगरानी में पारित आदेश संहिता की धारा 50 के अधीन निगरानी योग्य है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि पुनरावलोकन का

आवेदन मूल धारक ने नहीं दिया है अपितु आपत्तिकर्ता तुरसीवाई ने सीलिंग मामले की जानकारी होने पर आपत्ति प्रस्तुत की है जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने गलत आधारों पर निरस्त किया है।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने पर स्थिति यह है कि म0प्र0कृषि खातों की अधिकतम सीमा अधिनियम 1960 की धारा 42 में व्यवस्था दी गई है कि सक्षम प्राधिकारी व्दारा पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील के निराकरण पर ऐसे आदेश के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी प्रचलन योग्य एंव सुनवाई योग्य है। (रबिशॅकर दुबे विरूद्ध राजस्व मण्डल 1972 रा.नि. 502 = 1972 ज0ला0ज0 934 से अनुसरित)

6/ प्रकरण के अवलोकन से पाया गया कि सक्षम अधिकारी/ अनुविभागीय अधिकारी,अशोकनगर व्दारा पारित आदेश के विरूद्ध मूल धारक ने पुनरावलोकन आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है अपितु उनके समक्ष महिला तुरसीवाई पत्नि बालमुकुन्द काछी ने आपत्ति आवेदन प्रस्तुत किया है, जो मूल धारक थोवन सिंह की मॉ थी। उसकी आपत्ति यह रही है कि सक्षम अधिकारी ने उसे पात्रता होते हुये भी पारिवारिक व्यवस्था स्वरूप भूमि नहीं थी तथा उसके पेटे की 30 एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित कर दी और इस आपत्ति पर अनुविभागीय अधिकारी ने विचार नहीं किया एंव अवधारित कर दिया कि अधिनियम में पुनरावलोकन का प्रावधान नहीं है और पुनरावलोकन प्रावधान के आधार को लेकर दोनों निगरानी न्यायालयों ने आदेश पारित किये हैं, जबकि आपत्तिकर्ता तुरसीवाई के हितों की ओर ध्यान नहीं दिया गया , क्योंकि वह भी मूल धारक के परिवार की सदस्य होकर पारिवारिक कृषि भूमि में सहखातेदार रही है एंव सक्षम अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर ने प्रकरण कमांक 1374 अ-90 (बी-3)/1974-75 में पारित आदेश दिनांक 20-4-1976 से इस

धारक की पात्रता वावत् गणना समुचित न करने की आपत्ति है और निगरानी न्यायालय कलेक्टर गुना, अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ने इस पर विचार नहीं किया है, जिसके कारण आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर का आदेश दिनांक 15-9-2008, कलेक्टर गुना का आदेश दिनांक 27-7-81 एंव अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर का आदेश दिनांक 2-3-79 एंव 20-4-76 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त,ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा निगरानी कमांक 144/1984-85 मे पारित आदेश दिनांक 15.9.2008, कलेक्टर गुना व्दारा प्रकरण कमांक 32/78-79 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 27-7-81 तथा सक्षम अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर व्दारा प्रकरण कमांक 1374 अ-90 (बी-3)/1974-75 में पारित आदेश दिनांक 20-4-1976 एंव आदेश दिनांक 2-3-79 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण सक्षम अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर की ओर इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि आपत्तिकर्ता महिला तुरसीवाई (मृतक) अब उसके वारिस उत्तराधिकारियों को सुनवाई का समुचित अवसर देकर म0प्र0कृषि खातों की अधिकतम सीमा अधिनियम 1960 में दिये गये प्रावधानों अनुसार प्रकरण का निराकरण करें।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर